IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

CORPORATE FRAUD: TYPES, PROBLEMS, AND PREVENTIVE MEASURES

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: प्रकार, समस्याएँ और निवारक उपाय

Ambrish Kumar
Roll Number: 240901162003
Course: LL.M
Amrit Law College, Dhanauri, Roorkee

सार

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी आधुनिक आर्थिक युग की सबसे खतरनाक चुनौतियों में से एक के रूप में उभरी है, जो जनता के विश्वास को खत्म कर रही है और कॉर्पोरेट प्रशासन की अखंडता को खतरे में डाल रही है। यह शोध पत्र कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अवधारणा और प्रकृति का पता लगाता है, तथा यह जांच करता है कि संगठनों के भीतर छल, हेरफेर और अधिकार का दुरुपयोग किस प्रकार विकसित हुआ है। इसमें कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के प्रमुख प्रकारों — परिसंपत्ति के दुरुपयोग और वित्तीय विवरण में हेरफेर से लेकर साइबर और प्रबंधन स्तर के कदाचार तक— पर चर्चा की गई है, जिनमें से प्रत्येक यह बताता है कि मानवीय लालच और प्रणालीगत खामियां किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। यह पेपर सत्यम, सहारा और पीएनबी-निराव मोदी मामले जैसे प्रसिद्ध कॉर्पोरेट घोटालों पर भी फिर से विचार करता है, जो इस बात की स्पष्ट याद दिलाते हैं कि शीर्ष पर नैतिक पतन निवेशकों, कर्मचारियों, आदि को कैसे तबाह कर सकता है और अर्थव्यवस्था। कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की भूमिका सहित भारत के कानूनी ढांचे का विश्लेषण करके, अध्ययन पता लगाने और प्रवर्तन के विकसित तंत्रों पर प्रकाश डालता है। कानूनी उपायों से परे, शोध धोखाधड़ी के खिलाफ स्थायी उपकरण के रूप में कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों, नैतिक नेतृत्व और निवारक सतर्कता के महत्व पर जोर देता है। निष्कर्ष बताते हैं कि हालांकि विनियमन आवश्यक हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में निहित है—जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी कॉर्पोरेट जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। अंततः, इस पत्र में विनियामकों, निगमों और समाज द्वारा सामूहिक प्रयास का आह्वान किया गया है, ताकि कॉर्पोरेट परिदृश्य को धोखे के प्रति संवेदनशील से बदलकर विश्वास और नैतिक उत्कृष्टता पर आधारित बनाया जा सके ।

कीवर्ड: कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, पता लगाना, रोकथाम, वित्तीय अपराध ।

परिचय

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी दुनिया भर में आधुनिक व्यावसायिक संगठनों और नियामक प्रणालियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक के रूप में उभरी है। यह गैरकानूनी वित्तीय या प्रतिष्ठा लाभ हासिल करने के इरादे से व्यक्तियों या कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा किए गए धोखे, हेरफेर या गलत बयानी के जानबूझकर किए गए कृत्यों को संदर्भित करता है। तेजी से वैश्वीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था में, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जटिलता, पैमाने और परिष्कार में काफी वृद्धि हुई है, जिससे न केवल निवेशकों और हितधारकों के लिए बल्कि वित्तीय बाजारों की स्थिरता और कॉर्पोरेट प्रशासन में जनता के विश्वास के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है[1] ।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से प्रत्येक विधि, इरादे और प्रभाव में भिन्न होती है। सामान्य प्रकारों में वित्तीय विवरण धोखाधड़ी शामिल है, जहां कंपनियां अपने वित्तीय स्वास्थ्य की भ्रामक तस्वीर पेश करने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड में हेरफेर करती हैं; अंदरूनी व्यापार, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग शामिल है; संपत्ति का दुरुपयोग, जैसे कंपनी के संसाधनों का गबन या चोरी; और कॉर्पोरेट जासूसी, जहां व्यापार रहस्य गैरकानूनी तरीके से हासिल किए जाते हैं[2] । इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, फ़िशिंग, पहचान की चोरी और डेटा उल्लंघन जैसी साइबर धोखाधड़ी तेजी से प्रचलित हो गई है, जिससे नियामक परिदृश्य और अधिक जटिल हो गया है[3] । धोखाधड़ी के ये विविध रूप कॉर्पोरेट कदाचार की उभरती प्रकृति और ऐसी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं बहुआयामी और दूरगामी हैं। आर्थिक रूप से, धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप निवेशकों, ऋणदाताओं और सरकारों को भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे अक्सर कॉर्पोरेट दिवालियापन और बाजार अस्थिरता पैदा होती है। सामाजिक रूप से, यह कॉर्पोरेट संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करता है तथा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को कमजोर करता है। कानूनी तौर पर, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलताओं और परिष्कृत वित्तीय साधनों की भागीदारी के कारण जांच, अभियोजन और प्रवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती है[4] । हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी के मामलों ने यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार कमजोर कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना, पारदर्शिता की कमी और अप्रभावी नियामक निगरानी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है।

इन चुनौतियों के जवाब में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न निवारक उपाय विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत करना, पारदर्शिता और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को बढ़ाना, तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित करना कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से निपटने में प्रमुख रणनीतियाँ हैं। इसके अलावा, नियामक निकायों ने धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े कानून और अनुपालन आवश्यकताएं पेश की हैं। धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है[5] ।

---

[1] एसण् खन्नाए कॉरपोरेट फ्रॉड एंड गवर्नेंस इन इंडिया ;नई दिल्लीरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसए 2019द्धए पी। 12ण

[2] एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स ;एसीएफईद्धए व्यावसायिक धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार पर राष्ट्रों को रिपोर्ट ;2022द्धए पी। 6ण

[3] आरण् सिंहए ष्डिजिटल युग में साइबर धोखाधड़ी और कॉर्पोरेट दायित्वएष् जर्नल ऑफ़ कॉर्पोरेट लॉ स्टडीज़ 15ए संख्या। 2 ;2021द्धरू 145ण

[4] जे कॉफ़ीए कॉरपोरेट क्राइम एंड पनिशमेंटरू द क्राइसिस ऑफ़ अंडरएनफोर्समेंट ;सैन फ्रांसिस्कोरू बेरेट.कोहलरए 2020द्धए पी। 34ण

[5] कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 संशोधन (भारत), धारा 134 और 177 के साथ।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की घटना कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है; यह वाणिज्य और पूंजीवाद के इतिहास में गहराई से निहित है। जहां भी व्यापार, लाभ और कॉर्पोरेट उद्यम फले-फूले हैं, वहां अक्सर छल और चालाकी उनकी छाया में रही है। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की उत्पत्ति अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में देखी जा सकती है, जब संयुक्त स्टॉक कंपनियों के उदय और आसानी से धन कमाने के वादे ने वित्तीय कदाचार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी थी।

सबसे प्रारंभिक और सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक इंग्लैंड में 1720[6] का साउथ सी बबल था। दक्षिण अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए स्थापित साउथ सी कंपनी ने लाभ के अतिरंजित दावों और झूठे आश्वासनों के साथ निवेशकों को लुभाया, जिससे सट्टेबाजी का उन्माद पैदा हो गया। जब बुलबुला फटा, तो इससे विनाशकारी नुकसान हुआ, वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो गया और कंपनी के कई अधिकारियों को कारावास की सजा हुई। लगभग उसी समय, फ्रांस ने जॉन लॉ द्वारा संचालित मिसिसिपी स्कीम[7] में एक समानांतर आपदा देखी, जो इसी तरह के आर्थिक पतन और सार्वजनिक आक्रोश के साथ समाप्त हुई। इन शुरुआती घोटालों ने अनियमित सट्टेबाजी के खतरों को उजागर किया और आधुनिक वित्तीय विनियमन के लिए आधार तैयार किया।

पूंजीवाद के विस्तार के साथ उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में कॉर्पोरेट धोखे के विभिन्न रूप देखने को मिलते रहे। औद्योगीकरण और बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास ने अवसर और जटिलता दोनों प्रदान की, जिससे धोखाधड़ी की प्रथाओं को और अधिक परिष्कृत होने का अवसर मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैककेसन एवं रॉबिंस घोटाले (1938) जैसे मामलों से बड़े पैमाने पर लेखांकन में हेराफेरी का पता चला और लेखापरीक्षा मानकों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। जैसे-जैसे बाजार वैश्वीकृत होते गए, धोखाधड़ी अधिक जटिल होती गई—साधारण गबन से आगे बढ़कर इसमें गलत लेखांकन, अंदरूनी व्यापार और वित्तीय विवरणों में हेरफेर शामिल हो गया।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अभूतपूर्व कॉर्पोरेट घोटालों का युग शुरू हुआ, जिसने व्यावसायिक संस्थाओं में वैश्विक विश्वास को हिलाकर रख दिया। 1980 के दशक में बचत और ऋण संकट, 2000 के दशक की शुरुआत में एनरॉन कॉर्पोरेशन और वर्ल्डकॉम घोटाले, और टाइको इंटरनेशनल मामले ने खुलासा किया कि कैसे कॉर्पोरेट लालच, कमजोर शासन और लेखा परीक्षक की मिलीभगत पूरी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर सकती है। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्बेन्स-ऑक्सले अधिनियम (2002) जैसे ऐतिहासिक सुधार हुए, जिनका उद्देश्य कॉर्पोरेट परिचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी बढ़ाना था।

भारत ने भी कॉर्पोरेट कदाचार में अपनी हिस्सेदारी देखी है। हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला (1992)[8] ने भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों में खामियों को उजागर किया, जिससे नियामक सुधारों को बढ़ावा मिला और सेबी की निगरानी को मजबूत किया गया। बाद में, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज घोटाला (2009)[9] भारत के सबसे कुख्यात कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में से एक बन गया, जिसमें खातों का बड़े पैमाने पर मिथ्याकरण और वित्तीय डेटा का गलत प्रतिनिधित्व

---

6 कार्सवेल, जे. (1960). दक्षिण सागर बुलबुला। क्रेसेट प्रेस

7 मर्फी, ए. (1997). जॉन लॉ: आर्थिक सिद्धांतकार और नीति-निर्माता। क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफ़ोर्ड।

8 आर पारखए द स्कैमरू फ्रॉम हर्षद मेहता टू केतन पारेख ;संशोधित संस्करणए विज़न बुक्स 2015द्ध।

9 कंपनी अधिनियमए 2013ए भारत का राजपत्रए असाधारणए भाग प्पए धारा 1 ;30 अगस्त 2013द्ध।

शामिल था। इस घटना ने कॉरपोरेट इंडिया के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सख्त मानदंड लागू किए गए, तथा कॉरपोरेट धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और दंडित करने वाले प्रावधान लागू किए गए।

समकालीन युग में, वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और जटिल वित्तीय साधनों के साथ, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है। साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, एल्गोरिथम प्रणालियों के माध्यम से अंदरूनी व्यापार और सीमा पार वित्तीय हेरफेर नई चुनौतियों के रूप में उभरे हैं। जबकि कानूनी और नियामक ढांचे का विकास जारी है, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का इतिहास हमें याद दिलाता है कि अकेले कानून पर्याप्त नहीं हैं; नैतिक आचरण, पारदर्शिता और जवाबदेही कॉर्पोरेट अखंडता की सच्ची सुरक्षा बनी हुई है ।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अवधारणा और प्रकृति

मूलतः, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी महज एक वित्तीय गड़बड़ी नहीं है; यह विश्वास का उल्लंघन है। प्रत्येक निगम विश्वास की नींव पर बना होता है—निवेशकों का विश्वास जो भरोसा करते हैं कि उनके पैसे का प्रबंधन बुद्धिमानी से किया जाएगा, कर्मचारी जो कंपनी की स्थिरता पर निर्भर हैं, और जनता जो निष्पक्ष बाजार आचरण में विश्वास करती है। जब इस विश्वास का उल्लंघन होता है, तो परिणाम बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैल जाते हैं। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी विश्वसनीयता को नष्ट करती है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, तथा कार्यशील अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली नैतिकता को कमजोर करती है।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की प्रकृति बहुआयामी है। यह विभिन्न रूप ले सकता है —जैसे खातों में हेराफेरी, वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, अंदरूनी व्यापार, धन का विचलन, शेयर की कीमतों में हेरफेर, या देनदारियों को छिपाना। कई मामलों में, धोखाधड़ी छोटे नैतिक समझौतों से शुरू होती है जो धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर धोखे में विकसित होती है। अक्सर, प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने, अवास्तविक लाभ प्राप्त करने, या शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव व्यक्तियों और प्रबंधन को अनैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की एक अन्य परिभाषित विशेषता इसकी प्रणालीगत और छिपी हुई प्रकृति है। भ्रष्टाचार के खुले कृत्यों के विपरीत, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी अक्सर जटिल लेनदेन, झूठे दस्तावेज़ीकरण और लेखांकन प्रथाओं के दुरुपयोग के पीछे छिपी होती है, जिससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। धोखेबाज अक्सर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शासन प्रणालियों में खामियों, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और नियामक सतर्कता की कमी का फायदा उठाते हैं। कई मामलों में, लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी या तो गलत काम का पता लगाने में विफल रहते हैं या वित्तीय सुदृढ़ता का भ्रम बनाए रखने में भागीदार बन जाते हैं ।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी की श्रेणियाँ

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी कई रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से प्रत्येक विधि, इरादे और प्रभाव में भिन्न होती है, फिर भी सभी एक ही मकसद में निहित होती हैं—धोखे के माध्यम से गैरकानूनी व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ। मजबूत निवारक और शासन तंत्र विकसित करने के लिए इन प्रकारों और वर्गीकरणों को समझना आवश्यक है। मोटे तौर पर, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को कार्य की प्रकृति, इसमें शामिल लोगों और संगठन के भीतर संचालन के क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है ।

1. लेखांकन और वित्तीय विवरण धोखाधड़ी

यह कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के सबसे आम और हानिकारक प्रकारों में से एक है। इसमें लाभप्रदता, स्थिरता या विकास की गलत तस्वीर पेश करने के लिए कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर करना शामिल है। रणनीति में राजस्व में वृद्धि करना, देनदारियों को छिपाना, परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना, या निवेशकों और नियामकों को गुमराह करने के लिए रचनात्मक लेखांकन का उपयोग करना शामिल है।

उदाहरण: एनरॉन और सत्यम घोटाले ऐसे क्लासिक मामले हैं, जहां झूठी वित्तीय रिपोर्टिंग ने हितधारकों को वर्षों तक धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कॉर्पोरेट पतन हुआ ।

2. संपत्ति का दुरुपयोग

संपत्ति के दुरुपयोग से तात्पर्य कर्मचारियों या प्रबंधन द्वारा कंपनी के संसाधनों की चोरी या दुरुपयोग से है। इसमें धन का गबन, कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग, या व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्तियों का दुरुपयोग शामिल हो सकता है। यद्यपि कभी-कभी वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की तुलना में इनका पैमाना छोटा होता है, लेकिन इन कृत्यों के परिणामस्वरूप संचयी रूप से भारी नुकसान होता है और संगठन के भीतर आंतरिक विश्वास कमजोर होता है ।

3. अंदरूनी व्यापार और प्रतिभूति धोखाधड़ी

जब गोपनीय कॉर्पोरेट जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति शेयर बाजार में व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो यह अंदरूनी व्यापार माना जाता है। इस तरह के कृत्य कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को कमजोर करते हैं। प्रॉस्पेक्टस में गलत बयानी या शेयर की कीमतों में हेरफेर भी प्रतिभूति धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है । ये गतिविधियाँ बाज़ार की निष्पक्षता को विकृत करती हैं और निवेशकों के विश्वास को नष्ट करती हैं—जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण आधार है। दूसरी ओर, प्रतिभूति धोखाधड़ी व्यापक है और इसमें प्रॉस्पेक्टस में गलत बयानी, शेयर की कीमतों को प्रभावित करने के लिए झूठे बयानों का प्रसार, तथा कृत्रिम मांग या आपूर्ति पैदा करने के लिए व्यापारिक गतिविधियों में हेरफेर जैसे कार्य शामिल हैं ।

4. भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के सबसे व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुके रूपों में से एक है। वे तब होते हैं जब व्यक्ति या संगठन किसी निर्णय को प्रभावित करने या अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी मूल्यवान चीज़ — जैसे धन, उपहार या एहसान की पेशकश करते हैं, देते हैं, प्राप्त करते हैं या मांगते हैं। धोखाधड़ी के अन्य रूपों के विपरीत, जिनमें गलत रिकॉर्ड या वित्तीय हेरफेर शामिल हो सकते हैं, भ्रष्टाचार अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है, जिसे "व्यवसाय सुविधा" या "संबंध प्रबंधन" की आड़ में छिपाया जाता है कॉर्पोरेट वातावरण में भ्रष्टाचार विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है: रिश्वत के बदले अयोग्य विक्रेताओं को ठेके देना, निविदाओं में हेराफेरी करना, नियमों को दरकिनार करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देना, या सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लाभ प्रदान करना। कभी-कभी, ऐसी प्रथाएं व्यावसायिक संस्कृति के हिस्से के रूप में सामान्य हो जाती हैं, जिससे वैध बातचीत और अनैतिक आचरण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हालाँकि, भ्रष्टाचार का दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी है—यह संस्थागत अखंडता को नष्ट करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है और बाज़ार में असमानता को बढ़ावा देता है ।

5. पेरोल और खरीद धोखाधड़ी

पेरोल धोखाधड़ी में व्यक्तिगत लाभ के लिए वेतन प्रणालियों में हेरफेर शामिल है। इसमें केवल कागजों पर मौजूद “भूत कर्मचारियों” का निर्माण, काम के घंटों या ओवरटाइम दावों को बढ़ाना, उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी करना, या वेतन भुगतान को व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। पहली नज़र में ऐसी योजनाएं मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें अनियंत्रित रूप से जारी रहने दिया जाता है, तो इनसे निरंतर वित्तीय नुकसान होता है और कंपनी के रोजगार संबंधी आंकड़े विकृत हो जाते हैं।

दूसरी ओर, खरीद धोखाधड़ी तब होती है जब कर्मचारी या विक्रेता वस्तुओं या सेवाओं की खरीद की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करते हैं। यह बढ़े हुए चालान, घटिया सामग्री की स्वीकृति, बोली में धांधली या नकली आपूर्तिकर्ता खातों का रूप ले सकता है। कई मामलों में, खरीद धोखाधड़ी को रिश्वतखोरी या रिश्वत द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जहां क्रय अधिकारी को धोखाधड़ी वाले लेनदेन को मंजूरी देने के बदले में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होता है ।

6. साइबर और डिजिटल धोखाधड़ी

ये धोखाधड़ी कॉर्पोरेट अपराध की एक आधुनिक और तेजी से बढ़ती श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है, जहां प्रौद्योगिकी धोखे का उपकरण और लक्ष्य दोनों बन जाती है। कॉर्पोरेट जगत में साइबर धोखाधड़ी में अवैध वित्तीय या रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए डिजिटल सूचना प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच, हेरफेर या दुरुपयोग शामिल है। सामान्य उदाहरणों में फ़िशिंग हमले, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, रैनसमवेयर, हैक किए गए ईमेल सिस्टम के माध्यम से नकली चालान और ऑनलाइन भुगतान गेटवे में हेरफेर शामिल हैं ।

7. प्रबंधन और कार्यकारी धोखाधड़ी

जब शीर्ष नेतृत्व पदों पर बैठे व्यक्ति व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, तो इसका परिणाम कार्यकारी स्तर पर धोखाधड़ी के रूप में सामने आता है। इसमें बोर्ड से जानकारी छिपाना, अवैध लेनदेन को मंजूरी देना, या व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्णयों में हेरफेर करना शामिल हो सकता है। इस तरह की धोखाधड़ी विशेष रूप से खतरनाक होती है, क्योंकि यह नियंत्रण के उच्चतम स्तर पर होती है, जिससे अक्सर तब तक पता लगाना कठिन हो जाता है, जब तक कि क्षति अपरिवर्तनीय न हो जाए ।

भारत में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी न केवल निवेशकों के विश्वास और कॉर्पोरेट प्रशासन को कमजोर करती है बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता को भी खतरे में डालती है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत ने धोखाधड़ी वाली कॉर्पोरेट प्रथाओं का पता लगाने, जांच करने और दंडित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा विकसित किया है। इन कानूनों का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है बल्कि निवारक भी है— कॉर्पोरेट वातावरण में जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक आचरण पैदा करना ।

1. कंपनी अधिनियम, 2013

कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को संबोधित करने वाला आधारशिला कानून है। इसने पहली बार धारा 447[10] के तहत "धोखाधड़ी" की एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा पेश की, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य, चूक, तथ्य को छिपाने या पद के दुरुपयोग को शामिल किया गया है। अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर दस वर्ष तक के कारावास और भारी जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान है ।

• धारा 447 – धोखाधड़ी के लिए दंड को परिभाषित और निर्धारित करती है।

• धारा 448 – दस्तावेजों, रिटर्न या रिपोर्ट में दिए गए झूठे बयानों से संबंधित है।

• धारा 449 – जांच में झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है।

• धारा 450–451 – कॉर्पोरेट स्थिति का खुलासा न करने, असहयोग करने और दुरुपयोग करने पर दंड लगाना।

• धारा 212 – गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के जटिल मामलों की जांच करने का अधिकार देती है ।

इन प्रावधानों को शामिल करने से पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण आचरण में शामिल निदेशकों और अधिकारियों के सख्त प्रवर्तन और व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर दिया गया था ।

2. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की भूमिका

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के तहत स्थापित गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) प्रमुख कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए भारत की प्राथमिक जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसमें कानून, वित्त और फोरेंसिक ऑडिटिंग जैसे क्षेत्रों के बहु-विषयक विशेषज्ञ शामिल हैं। एसएफआईओ केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए उन मामलों की जांच करता है जहां धोखाधड़ी काफी जटिल या सार्वजनिक हित की होती है। इसके पास कॉर्पोरेट अपराध के प्रति संपूर्ण और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए गवाहों को गिरफ्तार करने, उनकी जांच करने और कंपनी के रिकॉर्ड तक पहुंचने की शक्ति है ।

3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)

सेबी अधिनियम, 1992 सेबी को प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा करने का अधिकार देता है। सेबी प्रतिभूति धोखाधड़ी, अंदरूनी व्यापार और बाजार हेरफेर को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विभिन्न विनियम जैसे सेबी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003[11], और सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 प्रतिभूति लेनदेन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करते हैं। उल्लंघन के परिणामस्वरूप मौद्रिक दंड, व्यापार से रोक और यहां तक कि मुकदमा भी चलाया जा सकता है ।

[10] धारा 447, कंपनी अधिनियम, 2013 – धोखाधड़ी के लिए दंड, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 1 (30 अगस्त 2013)।

[11] भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003, अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2003/02/0640, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 (17 जुलाई 2003)।

4. **भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी)**

कॉर्पोरेट-विशिष्ट कानून अस्तित्व में आने से पहले, धोखाधड़ी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत निपटाया जाता था। आज भी, कई मामलों में कॉर्पोरेट कानूनों के साथ-साथ आईपीसी प्रावधानों का भी सहारा लिया जाता है। प्रमुख अनुभागों में शामिल हैं:

• धारा 415–420 – धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रेरित करने को परिभाषित करें और दंडित करें।

• धारा 463–477ए – जालसाजी, खातों में हेराफेरी और सबूतों को नष्ट करने का समाधान। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि धोखाधड़ी वाले कार्य, भले ही कंपनी कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल न हों, आपराधिक अपराध के रूप में दंडनीय बने रहें ।

5. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988**

यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुख्य रूप से लोक सेवकों के लिए है, लेकिन यह उन कॉर्पोरेट संस्थाओं पर भी लागू होता है जहां निजी खिलाड़ी रिश्वतखोरी या सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत में लिप्त होते हैं। 2018 में संशोधनों ने सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक संगठनों को दंडित करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया है, जिससे कॉर्पोरेट जवाबदेही को सार्वजनिक अखंडता के साथ जोड़ा गया है ।

6. **अन्य सहायक कानून**

अन्य कानून भी धोखाधड़ी-रोधी ढांचे में योगदान करते हैं, जिनमें सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 शामिल हैं, विशेष रूप से डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में। ये कानून मिलकर जांच और प्रवर्तन की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली बनाते हैं ।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने में चुनौतियाँ

बढ़ती जागरूकता और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के बावजूद, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी चिंताजनक आवृत्ति के साथ सामने आ रही है। यह दृढ़ता दर्शाती है कि धोखाधड़ी केवल कमजोर कानून का मामला नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, संगठनात्मक संस्कृति और प्रणालीगत खामियों का एक जटिल अंतर्संबंध है। भारत और विश्व स्तर पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से रोकने और उसका पता लगाने के रास्ते में कई चुनौतियाँ खड़ी हैं ।

1. **जटिल कॉर्पोरेट संरचनाएँ**

आधुनिक निगम अक्सर सहायक कंपनियों, अपतटीय संस्थाओं और स्तरित स्वामित्व पैटर्न के जटिल जाल के माध्यम से काम करते हैं। इस जटिलता के कारण वित्तीय लेनदेन का पता लगाना और जवाबदेही की पहचान करना कठिन हो जाता है। धोखेबाज वैध व्यावसायिक संचालन की आड़ में अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए ऐसी अस्पष्टता का फायदा उठाते हैं ।

2. **कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण**

कई संगठन, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र और कर्तव्यों के खराब पृथक्करण से पीड़ित हैं। जब एक ही व्यक्ति लेनदेन के प्राधिकरण, निष्पादन और समीक्षा को नियंत्रित करता है, तो हेरफेर का जोखिम तेजी से बढ़ जाता है। कमजोर नियंत्रण आंतरिक और कपटपूर्ण धोखाधड़ी दोनों का पता न चलने के अवसर पैदा करते हैं ।

3. **मिलीभगत और प्रबंधन की भागीदारी**

सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है धोखाधड़ी में शीर्ष स्तर की संलिप्तता। जब वरिष्ठ अधिकारी या बोर्ड के सदस्य स्वयं इसमें शामिल होते हैं, तो अक्सर आंतरिक खतरे को दबा दिया जाता है। जो कर्मचारी अनियमितताएं देखते हैं, वे प्रतिशोध या नौकरी की सुरक्षा खोने के डर से इसकी रिपोर्ट करने में संकोच कर सकते हैं।

4. **नैतिक संस्कृति का अभाव**

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी अक्सर तकनीकी कमियों से नहीं बल्कि नैतिक कमियों से उत्पन्न होती है। ऐसी संस्कृति जो सिद्धांतों की अपेक्षा लाभ को, या शासन की अपेक्षा विकास को प्राथमिकता देती है, ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां अनैतिक व्यवहार को सामान्य बना दिया जाता है। मजबूत नैतिक आधार के बिना, अनुपालन कार्यक्रम वास्तविक सुरक्षा उपायों के बजाय महज औपचारिकताएं बनकर रह जाते हैं।

5. **सीमित फोरेंसिक और तकनीकी क्षमताएं**

धोखाधड़ी की योजनाएं तेजी से परिष्कृत होती जा रही हैं, जिनमें अक्सर डिजिटल हेरफेर, डेटा चोरी और साइबर धोखाधड़ी शामिल होती है। कई कंपनियों, विशेषकर छोटी कंपनियों के पास ऐसी गतिविधियों का शीघ्र पता लगाने के लिए आवश्यक फोरेंसिक लेखांकन विशेषज्ञता और तकनीकी उपकरणों का अभाव है। यह अंतर धोखाधड़ी को तब तक छिपे रहने की अनुमति देता है जब तक कि क्षति अपरिवर्तनीय न हो जाए ।

6. **विलंबित कानूनी कार्यवाही**

भारत में कानूनी कार्यवाही की धीमी गति अक्सर धोखाधड़ी विरोधी कानूनों के निवारक प्रभाव को कमजोर कर देती है। लम्बी जांच, प्रक्रियागत देरी और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सीमित समन्वय के परिणामस्वरूप न्याय में देरी होती है—और कभी-कभी न्याय से इनकार भी कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, अपराधी समय पर जवाबदेही से बच सकते हैं।

7. **मुखबिरी का डर**

यहां तक कि जब कर्मचारियों को गलत काम का पता चलता है, तब भी वे शायद ही कभी आगे आते हैं। मजबूत व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति, पेशेवर या व्यक्तिगत नतीजों के डर के साथ मिलकर, आंतरिक रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करती है। यह चुप्पी धोखाधड़ी को अनियंत्रित रूप से पनपने देती है।

8. **धोखाधड़ी की विकसित होती प्रकृति**

तकनीकी प्रगति के साथ, धोखेबाज लगातार नई तकनीकों का आविष्कार करते रहते हैं —साइबर हमलों और पहचान की चोरी से लेकर एल्गोरिदम हेरफेर तक। नियामक प्रणालियाँ, जो प्रायः धीमी गति से विकसित होती हैं, इन उभरते खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने में संघर्ष करती हैं।

भारत में प्रसिद्ध कॉर्पोरेट घोटाले

भारत में कॉर्पोरेट घोटालों ने बार-बार कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिकता की कमज़ोर स्थिति को उजागर किया है। इन मामलों से पता चलता है कि कैसे लालच, चालाकी और कमजोर निगरानी सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक साम्राज्यों को भी गिरा सकती है। प्रत्येक घोटाला, हालांकि अपनी परिस्थितियों में अद्वितीय है, व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ के लिए विश्वास, शक्ति और कॉर्पोरेट संरचनाओं के दुरुपयोग का एक सामान्य सूत्र है। इन कुख्यात प्रकरणों को समझना न केवल इतिहास को दोहराने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जानने के लिए भी आवश्यक है कि कॉर्पोरेट धोखाधड़ी कैसे विकसित होती है, संचालित होती है और बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करती है ।

1. **सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल (2009),** जिसे अक्सर "भारत का एनरॉन" कहा जाता है, सत्यम स्कैंडल[12] ने कॉर्पोरेट जगत को तब चौंका दिया जब इसके संस्थापक, रामलिंगा राजू ने कंपनी के राजस्व को लगभग ₹7,000 करोड़ तक बढ़ाने की बात कबूल की । बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मामूली समायोजन के रूप में जो शुरू हुआ वह भारत की सबसे बड़ी लेखांकन धोखाधड़ी में से एक बन गया। इस मामले में ऑडिटिंग प्रथाओं, कॉर्पोरेट प्रशासन और नियामक सतर्कता में गहरी खामियां सामने आईं। इस घोटाले के कारण अंततः कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से कॉर्पोरेट कानूनों को मजबूत किया गया और ऑडिटर जवाबदेही और स्वतंत्र निदेशकों पर अधिक जोर दिया गया ।
2. **हर्षद मेहता घोटाला अप्रैल 1992 में,** भारतीय शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद मेहता को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया गया, जिन्हें बुल रन का वास्तुकार माना जाता था। इसने कुख्यात बीएसई सुरक्षा घोटाले के लिए सुर्खियां बटोरीं जब अनुभवी स्तंभकार सुचेता दलाल ने भारत के राष्ट्रीय दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया13 में एक लेख लिखा। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली से धन निकालने के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर किया और शेयरों के चयनित समूह में बड़ी स्थिति बनाने के लिए तरलता का उपयोग किया। उन्होंने लगभग रु. का फंड डायवर्ट किया. बैंकों से स्टॉक ब्रोकरों को 4000 करोड़ रु. बाद में उन पर कई आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया गया ।
3. **सहारा समूह मामला** विवाद उचित विनियामक अनुमोदन के बिना वैकल्पिक रूप से पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के माध्यम से अवैध धन उगाही के इर्द-गिर्द घूमता था। लाखों छोटे निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को सेबी की देखरेख में निवेशकों को लगभग ₹24,000 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया। इस मामले ने बड़े पैमाने पर वित्तीय परिचालनों में निवेशक संरक्षण, नियामक स्पष्टता और पारदर्शिता के महत्व पर प्रकाश डाला ।
4. **पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) – नीरव मोदी घोटाला (2018),** में सेलिब्रिटी ज्वैलर नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी शामिल थे, जिन्होंने फर्जी वचन पत्र (एलओयू) का उपयोग करके पीएनबी को ₹13,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की थी। इसने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, अंतरबैंक संचार और पर्यवेक्षी तंत्र में

[12] एन। बालासुब्रमण्यमए भकॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधनरू कॉर्पोरेट बोर्डों की उभरती भूमिका और जिम्मेदारियाँए” विकल्पारू निर्णय निर्माताओं के लिए जर्नलए वॉल्यूम। 34ए संख्या 4 ;2009द्धए पृण 51दृ66ण

गंभीर खामियों को उजागर किया। इस घोटाले ने न केवल बैंकिंग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कड़े नियमन को भी जन्म दिया। यह इस बात के प्रति चेतावनी थी कि किस प्रकार अंदरूनी मिलीभगत और खराब तकनीकी निगरानी वित्तीय संस्थाओं को खतरे में डाल सकती है ।

5. **आईएल एंड एफएस संकट (2018),** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) का पतन, जिसे कभी ब्लू-चिप संस्थान माना जाता था, ने खुलासा किया कि कैसे कॉर्पोरेट कुप्रबंधन और अपारदर्शी लेखांकन प्रथाएं पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकती हैं। देनदारियों के ₹90,000 करोड़ से अधिक हो जाने के कारण, IL&FS के डिफॉल्ट से वित्तीय बाजारों में घबराहट फैल गई। जांच से पता चला कि किस प्रकार अधिकारियों ने जटिल सहायक कंपनियों और भ्रामक वित्तीय खुलासों के माध्यम से कंपनी के बढ़ते कर्ज को छुपाया। इस मामले ने वास्तविक समय वित्तीय प्रकटीकरण, बेहतर बोर्ड निरीक्षण और नियामक समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया ।

6. **किंगफिशर एयरलाइंस और विजय माल्या मामला,** जिसमें व्यवसायी विजय माल्या के नेतृत्व में किंगफिशर एयरलाइंस के पतन ने यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार असाधारण व्यावसायिक रणनीतियां, कुप्रबंधन और ऋण चूक बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में विकसित हो सकती हैं। ₹9,000 करोड़ से अधिक के बकाया ऋणों के साथ, माल्या का मामला भारत में "जानबूझकर चूककर्ता" की घटना का प्रतीक बन गया। इसने बैंकिंग क्षेत्र में सख्त सावधानी बरतने तथा ऋण वसूली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016[13] जैसे उपायों को लागू करने को प्रेरित किया ।

निवारक उपाय और कॉर्पोरेट प्रशासन सुधार

1. कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाना

कॉर्पोरेट प्रशासन उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। सत्यम और आईएल एंड एफएस जैसे घोटालों के बाद, भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई शासन सुधार किए कि कंपनियां जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से काम करें। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ने बोर्ड संरचना, स्वतंत्र निदेशकों, लेखापरीक्षा समितियों और प्रकटीकरण दायित्वों पर व्यापक मानक निर्धारित किए हैं। ये ढाँचे सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति संतुलित है, हितों के टकराव को कम किया गया है, और जवाबदेही तंत्र कॉर्पोरेट संरचना में अंतर्निहित हैं ।

2. व्हिसलब्लोअर संरक्षण और नैतिक संस्कृति

धोखाधड़ी को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 177) कुछ कंपनियों को अनैतिक व्यवहार, उल्लंघन या संदिग्ध

[13] वी। उमाकांत और एस. वरोत्तिल, "दिवाला और दिवालियापन संहिता का विकास, 2016: भारत के दिवाला ढांचे में एक आदर्श बदलाव," नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू, वॉल्यूम। 30, संख्या 2 (2018), पृ. 1–25.

धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का आदेश देता है ।

3. **ऑडिटर जवाबदेही और फोरेंसिक ऑडिट**

लेखा परीक्षक वित्तीय सत्य के संरक्षक हैं। लेखा परीक्षकों की जवाबदेही को मजबूत करने से यह सुनिश्चित होता है कि वे स्वतंत्र, मेहनती और वस्तुनिष्ठ बने रहें। 2018 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना ने ऑडिट पेशेवरों की निगरानी और अनुशासन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ।

4. **धोखाधड़ी की रोकथाम में प्रौद्योगिकी का उपयोग**

प्रौद्योगिकी, जिसका उपयोग कभी डिजिटल धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता था, अब उन्हें रोकने में एक शक्तिशाली सहयोगी बन रही है। लेनदेन की निगरानी करने, असामान्य पैटर्न का पता लगाने और वास्तविक समय में संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। कंपनियां विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) प्रणालियों और स्वचालित अनुपालन उपकरणों को एकीकृत कर रही हैं। ये नवाचार न केवल दक्षता बढ़ाते हैं बल्कि मानव हेरफेर की गुंजाइश को भी कम करते हैं ।

5. **विनियामक निरीक्षण और समन्वय**

अनेक विनियामकों —जैसे कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए), सेबी, आरबीआई और एसएफआईओ— ने अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ा दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी धोखाधड़ी छूट न जाए। नियमित निरीक्षण, प्रकटीकरण मानदंड और गैर-अनुपालन के लिए दंड संभावित गलत काम करने वालों के लिए निवारक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, नियामकों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) जैसे पेशेवर निकायों के बीच सहयोग ने पेशेवरों के बीच शासन साक्षरता को मजबूत किया है ।

6. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की भूमिका**

कॉर्पोरेट अखंडता वित्तीय ईमानदारी तक सीमित नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 फर्मों को लाभ के उद्देश्यों से परे देखने और टिकाऊ, नैतिक और सामाजिक रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है —यह समाज पर कंपनी के समग्र प्रभाव तक विस्तारित होता है। जिम्मेदार प्रथाओं के तहत सीएसआर अधिदेश। जब कंपनियां सार्वजनिक कर्तव्य की भावना के साथ काम करती हैं, तो अनैतिक शॉर्टकट का प्रलोभन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है ।

निष्कर्ष

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी आज के कारोबारी जगत में सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभरी है। वे न केवल वित्तीय नुकसान का कारण बनते हैं बल्कि विश्वास की नींव को भी हिला देते हैं जिस पर कॉर्पोरेट रिश्ते बनाए जाते हैं। जब जिन लोगों को नेतृत्व और जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वे व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं,

तो परिणाम बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैल जाते हैं जिससे कर्मचारी, निवेशक और समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। मजबूत कानूनों और नियामक निरीक्षण के बावजूद, समय और प्रौद्योगिकी के साथ धोखाधड़ी का विकास जारी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक जागरूकता और कॉर्पोरेट अखंडता को कानूनी अनुपालन के साथ-साथ खड़ा होना चाहिए। एक ऐसी संस्कृति जो ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्व देती है, धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा है ।